मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

****

विषयः- मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1996 को महामहिम राज्यपाल को ग्रामीण स्थानीय निकायों संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन।

संविधान के 73 वें संशोधन के अनुच्छेद 243 झ (परिशिष्ट II-01-01) के अनुसरण में गठित "मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग" ने राज्य की ग्रामीण स्थानीय निकायों को अप्रैल, 1996 से मार्च, 2001 की पांच वर्षो की अवधि में दी जाने वाली राशि से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आयोग की अनुशंसाओं का सारांश प्रतिवेदम के प्रारंभ में ही "अनुशंसाएं-एक दृष्टि में" शीर्षक के अंतर्गत चार पृष्ठों पर दर्शाया गया है।

क्र.	अनुशंसा	राज्य शासन का निर्णय
1.	राज्य के राजस्व में से पंचायतों को देय हिस्सा	
1.1	प्रदेश की 30922 ग्रामीण पंचायतों को राज्य की संचित निधि से रुपये 152.33 करोड़ वर्ष 1996-97 में संविधान के अनुच्छेद आई (ए) (I) के परिप्रेक्ष्य में निर्गमित किया जावे।	प्रतिवेदन जुलाई 96 में प्राप्त हुआ था तथा आगामी वित्तीय वर्ष से सकल राजस्व का हिस्सा देने हेतु निर्णय लिया गया।
	"ग्लोबल शेयरिंग" के हिस्सेदारी के सिद्धान्त पर प्रदेश के सकल संसाधनों से ग्राम पंचायतों को देय हिस्से के आकार के निर्धारण, करने के लिये दो विकल्प अनुशंसित किए गए हैं:-	
	प्रथम विकल्प - राज्य शासन के पूर्ववर्ती वर्ष के संग्रहित संसाधनों (कर तथा करेत्तर राजस्व) का 2.91 प्रतिशत जैसा कि प्रथम प्रतिवेदन में अनुशंसित किया गया है।	आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 1997-98 से पूर्ववर्ती वर्ष के सकल कर एवं करेत्तर राजस्व का 2.91 प्रतिशत वितरित किया जायेगा। यह राशि वर्ष 1997-98 के लिए रूपये 167.30 करोड़ है।
	दूसरा विकल्प - यदि राज्य के शुद्ध आगमों में से राशि निर्गमित करने का सिद्धान्त लिया जाना है तो पूर्ववर्ती वर्ष के सकल राजस्व के शुद्ध आगमों का 3.24 प्रतिशत राशि निर्गमित की जाना अनुशंसित है। शुद्ध आगम की गणना करते समय राजस्व संग्रहण पर प्रशासकीय व्यय के रुप में सकल राजस्व का अधिक से अधिक 10 प्रतिशत अधिरोपित करने की बाध्यता होगी।	

2.	भू-राजस्व, भू-राजस्व उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के विरुद्ध पूर्ववर्ती वर्ष में संग्रहित राजस्व में से पंचायतों को देय हिस्सा सहायक अनुदान के रुप में निर्गमित किये जाने की वर्तमान प्रथा को विलोपित किया जाये।	अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।
3.	अन्तर्विभाजन सूत्र - अन्तर्जिला वितरण- प्रदेश के समृद्ध क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े क्षेत्रों में अधिक धनराशि प्रवाहित करने के उद्देश्य से कतिपय तटस्थ (जनसंख्या व क्षेत्रफल) एवं कुछेक परिवर्तनशील कसौटियों (पिछड़ापन व समृद्धि सूचकांक) को यथोचित अधिभार देते हुए अन्तर्जिला वितरण हेतु सूत्र प्रतिपादित किया गया है। निर्धारित राशि का कितना भागांश (प्रतिशत) किस जिले को दिया जाना है। इस उद्देश्य से त्वरित संदर्भ हेतु शीघ्रगणक तालिका (रेडीरेकनर) भी प्रस्तुत की गई है।	पूर्ववर्ती वर्ष के सकल कर एवं करेत्तर राजस्व की 2.91 प्रतिशत राशि के जिलेवार वितरण संबंधी आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र को मान्य किया गया है।
4.	अन्तर्पंचायत वितरण - प्रत्येक जिलों में स्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों के मध्य धनराशि के वितरण के लिये जनसंख्या तथा क्षेत्रफल को क्रमश: 75 व 25 प्रतिशत अधिभार दिया जाये।	जिले को प्राप्त अनुदान के अन्तर्पंचायत वितरण के लिये 70 प्रतिशत जनसंख्या, 25 प्रतिशत क्षेत्रफल एवं 5 प्रतिशत कर उगाही के अधिभार के अनुसार राशि का वितरण करने का निर्णय लिया गया है।
5.	सहायक अनुदान -	
5.1	सामान्य प्रयोजन अनुदान - आधार वर्ष 1995-96 से पूर्व प्रचलित प्रथा के अनुसार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों को क्रमश: रुपये 14.65 करोड़ तथा रुपये 1.50 करोड़ का सामान्य प्रयोजन अनुदान दिया जाये एवं इसी आधार पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ राशि निर्गमित की जाये।	सामान्य प्रयोजन अनुदान के रुप में जिला पंचायतों को प्रतिवर्ष रुपये 1.50 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। जनपद पंचायतों को रुपये 14.65 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा मान्य नहीं की गई है।
5.2	आबद्ध अनुदान-विशिष्ट प्रयोजनार्थ- राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के लिये प्रावधानित राशि विशिष्ट प्रयोजनीय आबद्ध अनुदान के लिये दी जाये।	अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

5.3	अभिकर्ता अनुदान-प्रत्यायोजित कार्यक्रमों के लिये - प्रत्यायोजित कार्यक्रमों को संपादित व संचालित करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं को इन कार्यक्रमों हेतु रखे गये कुल प्रावधान का 2.5 प्रतिशत भाग अभिकर्ता अनुदान के रुप में देय हो जो संबंधित विभाग के बजट में समायोजित होगा।	जो कार्य पंचायतों को संपादित करने के लिये पूर्ण रुप से सौपे गये हैं उसके लिये अभिकर्ता अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु जो कार्य राज्य शासन द्वारा पंचायतों को विशेष तौर पर करने के लिये दिये जायेंगे (जिन्हें करने के लिये पंचायतें स्वयं अधिकृत नहीं है) उनके लिये पंचायतों को अनुशंसित दर से अभिकर्ता अनुदान दिया जायेगा।
5.4	प्रोत्साहन अनुदान - राज्य शासन पंचायतों के लिये राजस्व उगाही का लक्ष्य निर्धारित करें। निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व उगाही करने वाली इकाईयों को यथावत पुरस्कृत करने हेतु प्रोत्साहन अनुदान देने की प्रक्रिया आरंभ की जाये।	पंचायतों को प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने संबंधी अनुशंसा को स्वीकार किया गया है। वर्तमान में क्रियान्वित पुरस्कार योजना का एक संकेतक पंचायतों द्वारा राजस्व उगाही के क्षेत्र में किया गया कार्य भी होगा।
5.5	स्थापना अनुदान - राज्य शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों के लिये मानदेय व अन्य देय सुविधाओं के मापदंड तथा कुछेक प्रशासनिक अमलों की संरचना निर्धारित की गई है। अतः राज्य शासन के दिशा सूचक निर्देशनों से इन इकाईयों पर पड़ने वाले वचनबद्ध व्यय के लिये आधार वर्ष 1995-96 से 67.66 करोड़ रुपये (आगामी वर्षों में वास्तविक व्यय की आवश्यकताओं का आंकलन कर) स्थापना अनुदान के रुप में निर्गमित किया जाये।	त्रि-स्तरीय पंचायतों को स्थापना अनुदान रुपये 67.66 करोड़ देने की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।
5.6	अनावर्ती अनुदान - पंचायती राज संस्थाओं की कार्यालयीन साज-सज्जा व रखरखाव हेतु (राज्य शासन द्वारा स्वविवेक से) अनावर्ती अनुदान के रुप में एक मुश्त राशि दी जाये।	पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालयीन साज-सज्जा एवं रख-रखाव हेतु राशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा दिये गये कर अन्तरण की राशि, स्थापना अनुदान एवं उनके अन्य संसाधनों से की जाना चाहिये। अतः पृथक से अनावर्ती अनुदान देने की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया है।

5.7	विशिष्ट अनुदान (10 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा)- दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्राप्त होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत अर्थात् 43.58 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों के मध्य सामान्य प्रयोजनीय अनुदान के रुप में वितरित की जाये। यह राशि जिला पंचायत के माध्यम से वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति 12.50 रुपये की दर से वितरित की जाये।	दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्रीय शासन से ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत अर्थात रुपये 43.58 करोड़ ग्राम पंचायतों के मध्य सामान्य प्रयोजनीय अनुदान के रुप में वितरित करने की अनुशंसा राज्य वित्त आयोग ने की है। चूंकि दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जाना है, अत: इस अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया है।
6. 6.1	पंचायतों के लिये अतिरिक्त संसाधन - राजस्व वन - ग्राम पंचायतों के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले राजस्व वनों को प्रबंधन व सतत व्यवस्था के लिये ग्राम पंचायतों को सौपा जाये, जो इनकी आय का विश्वस्त निरंतर स्त्रोत बन सकेगा।	विचाराधीन है।
6.2	कृषि उपज मंडी - पंचायत अधिनियम में संशोधन करते हुये निराश्रित शुल्क अधिनियम के अनुसार ही किसी नये अधिनियम के माध्यम से दरों का युक्तियुक्त निर्धारण करते हुये पंचायतों हेतु लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये की उगाही की जाये।	विचाराधीन है।
6.3	संस्थागत वित्त - ग्रामीण विकास निधि की स्थापना - संस्थागत वित्त के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपार्जन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्राप्त होने वाली राशि का अवशेष पचास प्रतिशत अर्थात 43.58 करोड़ रुपये से ग्रामीण विकास निधि की स्थापना की जाये। ....निरंतर	संस्थागत वित्त के माध्यम से दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाली राशि के 50 प्रतिशत भाग से ग्रामीण विकास निधि की स्थापना संबंधी अनुशंसा को इसलिये स्वीकार नहीं किया गया है कि दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि भारत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जानी है।

	पूर्व पृष्ठ से इस राशि का उपयोग विशेषकर पेयजल व्यवस्था से प्रसंगित परियोजनाओं हेतु गारंटी राशि या मार्जिन मनी के रुप में किया जाये। इस राशि के संचालन एवं प्रबंधन हेतु लगभग 500 करोड़ रुपये की अधिकृत अंशपूंजी में पृथक एजेंसी की स्थापना पर विचार किया जाये।	
7.	बजट में अनुशंसाओं के समावेश संबंधी -	
7.1	बजटीय संकेत प्रयोजनीय - मांग संख्या 80, 82, एवं 84 के अंतर्गत संस्थाओं को प्रवाहित धनराशि और योजनाओं की सकल स्थिति को इन प्रभागों में प्रदर्शित किया गया है : - राज्य के संसाधनों से हिस्सा (जिलेवार) - अनुदान के रुप में - अभिकर्ता के रुप में	आयोग की अनुशंसा अनुसार बजटीय संकेत को मान्य किया गया है। इसके अनुसार मांग संख्या 80,82 एवं 84 के अंतर्गत संस्थाओं को प्रवाहित धनराशि और योजनाओं की सकल स्थिति को प्रदर्शित किया जायेगा।
7.2	कर वितरण जिलेवार- आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को राज्य संसाधनों (कर एवं करेत्तर राजस्व) से विशिष्ट अंश देने की अनुशंसा की गई है, इसे नवसृजित मांग संख्या 80, 82, एवं 84 में राज्य के संसाधनों से हिस्सा नामक अनुभाग के अंतर्गत जिलेवार प्रावधान भी दर्शाया जाये।	आयोग की अनुशंसा अनुसार सकल कर एवं करेत्तर राजस्व से पंचायतों को देय हिस्से के जिलेवार वितरण को मांग संख्या 80,82 एवं 84 में "राज्य के संसाधनों से हिस्सा" नामक अनुभाग के अंतर्गत जिलेवार प्रावधान दर्शाया जायेगा।
7.3	परफारमेंस बजट - प्रत्येक विभाग पृथक से प्रत्यायोजित कार्यक्रमों का जिलेवार प्रावधान तथा लक्ष्य दर्शाते हुये परफारमेंस बजट बनाये तथा राज्य शासन के बजट पारित होने के तुरंत बाद इसे पंचायत विभाग को प्रेषित करते हुये जिलो को आवंटन दे एवं अनुश्रवण करें।	परफारमेंस बजट संबंधी अनुशंसा पर सहमति व्यक्त की गई है। इस अनुशंसा अनुसार जिलेवार प्रावधान एवं लक्ष्य दर्शाते हुये विभिन्न विभागों द्वारा पृथक-पृथक परफारमेंस बजट बनाने की कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के उचित प्रक्रियात्मक निर्धारण के लिये इस अनुशंसा को वर्ष 1998-99 से लागू किया जायेगा।
7.4	वार्षिक कार्य प्रतिपादन योजना - उपरोक्त तारतम्य में प्रत्येक जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक कार्य प्रतिपादन योजना (एनवल प्लान ऑफ ऑपरेशन) बनाई जाये तथा इनका निरंतर अनुश्रवण किया जाये।	जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वार्षिक कार्य प्रतिपादन योजना बनाये जाने तथा उसका निरंतर अनुश्रवण किये जाने संबंधी अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

8.	अन्य अनुशंसायें -	
8.1	प्रत्यायोजित अधिकार-पुरावलोकन - पंचायतों को प्रत्यायोजित अधिकारों से प्रसंगित शासन आदेश दिनांक 8 अगस्त 1994 का पुनरावलोकन किया जाये एवं उन्हें संविधान के अनुच्छेद 243 जी की अनुसूची 11 में वर्णित वस्तु विषयों पर ध्यान केन्द्रीत करते हुये अधिक सुसंगत व सार्थक बनाया जाये।	पंचायतों को प्रत्यायोजित अधिकारों के पुनरावलोकन संबंधी अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।
8.2	डाटा बैंक - पंचायती राज संस्थाओं के अद्यतन आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन हेतु डाटा बैंक की स्थापना की जाये। इस हेतु निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।	पंचायती राज संस्थाओं के अद्यतन आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन हेतु डाटा बैंक की स्थापना, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अंतर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
8.3	आंतरिक अंकेक्षण - जबाबदेही हेतु - स्वशासन की इस नवनिर्मित स्वायत्त इकाईयों की जबाबदेही सुनिश्चित करने हेतु न्यादर्श पद्धति से प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था हो, इस हेतु अंकेक्षण की वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाये।	पंचायती राज संस्थाओं की जबाबदेही सुनिश्चित करने हेतु न्यादर्श पद्धति से प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करने संबंधी अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।
8.4	अनुश्रवण कक्ष - आयोग के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात अभिलेखों, आंकड़ों को अद्यतन तथा सुरक्षित रखने हेतु आयोग सचिवालय को कुछ सीमित अमले के साथ अनुश्रवण कक्ष के रुप में निरंतर रखा जाये।	राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात उनके अभिलेखों, आंकड़ों को अद्यतन एवं सुरक्षित रखने का कार्य राज्य शासन के वित्त विभाग में पूर्व से ही स्थापित कक्ष द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 1997 वित्त मंत्री,